न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 13/2021 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. रामसिंह पुत्र रामधन
2. हरिसिंह पुत्र रामधन
3. रघुवीरसिंह पुत्र रामधन

जाति गुर्जर निवासी ग्राम भेदाडी गुर्जरान तहसील बसवा जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. हीरा पत्नि घम्मन
2. विमला पत्नि मुरली

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम भेदाडी गुर्जरान तहसील बसवा जिला दौसा।

3. भू आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उप जिला कलक्टर बांदीकुई।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 12.4.2005 भू–आवंटन सलाहकार समिति एवं उप जिला कलक्टर बांदीकुई बाबत आवंटन कृषि भूमि खसरा नम्बर 1047 रकबा 0.22 है0 बहक अप्रार्थी सं.1 व 2)

उपस्थिति : श्री सुनील कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।

: श्री उम्मेद सिंह गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2 उपस्थित।

–:निर्णयः– दिनांकः 24.12.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम भेदाड़ी गुर्जरान तहसील बसवा में आराजी खसरा नम्बर 1047 रकबा 0.22 है0 स्थित है। उक्त भूमि साबिक व सिवायचक भूमि थी, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा पूर्वजों के समय से चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण उक्त सिवायचक भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने पटवारी हल्का व आवंटन कमेटी के सदस्यों से मिलीभगत कर व साज करके अवैधानिक तरीके से दिनांक 12.4.2005 को आवंटन करा लिया तथा उक्त आवंटन के आधार पर दिनांक 25.7.2005 को गैर खातेदारी दर्ज करा ली। इसलिये उक्त अवैध आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र 14(4) इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र 14(4) पेश होने पर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवंटन कमेटी का आदेश खिलाफ कानून, नियम उप नियम व आवंटन नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा पूर्वजों के समय से ही चला आ रहा है तथा आज दिन भी मौक पर कब्जा है। कानूनन खाली भूमि ही आवंटन किया जा सकता था। वक्त आवंटन भूमि खाली नहीं थी बल्कि उस पर प्रार्थीगण का कब्जा था [illegible] आवंटन अवैधानिक व नियम विरूद्ध होने के कारण प्राथमिक तौर पर ही निरस्तनीय है। आवंटन से [illegible] आवंटन संबंधी कोई उद्घोषणा भी जारी नहीं की गई, जबकि कानूनन उद्घोषणा [illegible] जारी किये जाने का प्रावधान है इसलिये उक्त आवंटन नियम विरूद्ध है। आवंटन की कार्यवाही न तो मजमेआम में की गई और न ही आवंटन कमेटी का पूर्ण कोरम था। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 भूमिहीन [illegible] नहीं है उनके परिवारजन के पास काफी कृषि भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने आज तक आवंटित भूमि पर कोई काश्त नहीं की और न ही कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:10:52 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया। जबकि कानूनन आवंटन के पश्चात प्रथम वर्ष में आधी भूमि व द्वितीय वर्ष में पूरी भूमि काश्त करना आवश्यक है, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने आवंटन शर्तो व नियमों का पालन ही नहीं किया। आवंटन फार्म भी नियमानुसार नहीं भरा गया है। हल्फिया तस्दीक भी नियमानुसार नहीं है इसलिये अपूर्ण फार्म पर किया गया आवंटन प्रथमदृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आवंटन मिसरप्रजेन्टेशन व फ्रोड करके चुपचाप मे मिलीभगत करके कराया है जो अवैध व अनुचित है। प्रार्थीगण को उक्त भूमि आवंटन की कोई जानकारी नहीं थी। पटवारी हल्का द्वारा बताने पर प्रार्थीगण ने आवंटन आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त कर उक्त आवंटन आदेश दिनांक 12.4.2005 को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन नियम इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार कर अप्रार्थी सं0 1 के हक में किया गया भूमि आवंटन आदेश दिनांक 12.4.2005 निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि अप्रार्थी सं0 1 व 2 की खातेदार एवं कब्जे काश्त भूमि खसरा नम्बर 1003 रकबा 0.24 है, ख0नं0 806 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 871 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 872 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 877 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम भेदाडी गुजरान तहसील बसवा में स्थित है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आवंटन सलाहकार समिति उप जिला कलक्टर बांदीकुई द्वारा मजमेआम में गुढा आशिकपुरा कैम्प में दिनांक 12.4.2005 को आवंटन आदेश पारित कर आवंटन की गई थी। आवंटन आदेश के बाद उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम गैर खातेदारी राजस्व रिकॅार्ड गैर खातेदारी दर्ज हुई जो जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 द्वारा प्रमाणित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण रामसिंह व उसके पूर्वजों का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है और न ही आवंटन के समय उनका कब्जा और न ही वर्तमान में उनका कब्जा है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का आवंटन के समय से ही नियमित कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा लाभान्वित होती आ रही है। आवंटन के समय उक्त भूमि खाली थी व आवंटन योग्य भूमि मानकर खाली भूमि का ही आवंटन किया गया है जो कि तस्दीक पटवारी रिपोर्ट से प्रमाणित है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कोई कब्जा रहा हो इस बाबत कोई प्रमाण भी पत्रावली पर नहीं है जो पटवारी रिपोर्ट से प्रमाणित है। भूमि आवंटन के समय उज्रदार द्वारा आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया गया हो तो ऐसी सूरत में आवंटन को चुनौती देने का अधिकार नहीं है और न हीं आवंटन को निरस्त किया जा सकता है। आवंटन संबंधी सार्वजनिक घोषणा जारी की गई है कोई गुपचुप आवंटन आदेश पारित नहीं किया गया है। मजमेआम गुढा आशिकपुरा कैम्प में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आवंटन शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को भूमिहीन मानकर विधिवत भूमि आवंटन आदेश पारित किया है। भूमि आवंटन आदेश दिनांक 12.4.2005 का है जिसके आधार पर गैर खातेदारी दर्ज हुई। तत्पश्चात उक्त आवंटित भूमि गैर खातेदारी से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी दर्ज रिकॅार्ड है। इतनी लम्बी अवधि के बाद व खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा आवंटन के बाद नियमानुसार कब्जा प्राप्त कर आवंटन शर्तों के अनुसार उक्त आवंटित भूमि में से आधी भूमि पर प्रथम वर्ष व शेष भूमि पर द्वितीय वर्ष में काश्त की है और वर्तमान में भी काश्त कर उपभोग की जा रही है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा आवंटन कमेटी के समक्ष भूमि का आवंटन कराने हेतु नियमानुसार फॉर्म भरा है एवं उपस्थित होकर आवंटन कमेटी के समक्ष मजमेआम में आवदेन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार फ्रोड व मिसरिप्रजेन्टेशन नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन नियम खारिज फरमावें।

अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रार्थीगण द्वारा स्वयं के विरुद्ध भी [illegible] किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र 14(4) को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:10:52 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 12.4.2005 बहक अप्रार्थी संख्या 1 हीरा पत्नि घम्मन एवं अप्रार्थी संख्या 2 विमला पत्नि मुरली जाति गुर्जर निवासी ग्राम भेदाडी गुर्जरान तहसील बसवा जिला दौसा के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन नियम खारिज किया जाता है। मूल आवंटन अभिलेख मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:10:52 IST
Reason: SelfAttested